

छावनी बोर्ड की साधारण बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त 28-02-2023 को दोपहर 12:00 बजे छावनी बोर्ड के कार्यालय सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम के आयोजित किया गया।

### उपस्थित सदस्य

1. ब्रिग. एसडीए रिज़वी, वीएसएम, अध्यक्ष
2. श्री. सी दिनेश कुमार रेड्डी, सदस्य सचिव
3. श्री. पी ए गुना, मनोनीत सदस्य

#### 1. छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का भुगतान

छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को तमिलनाडु राज्य सरकार के उनके G.O.Ms.No.7 दिनांक 06 जनवरी 2023 के माध्यम द्वारा स्वीकृत 01-01-2023 से बढ़ाए गए महंगाई भत्ते के भुगतान पर विचार करना और स्वीकृति देना। वित्त(भत्ते) विभाग ने उनके कर्मचारियों को 01-01-2023 से महंगाई भत्ते की दर को मूल वेतन के 34 % कर दिया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, छावनी बोर्ड के कर्मचारी भी महंगाई भत्ते की संशोधित दर के हकदार हैं। प्रति माह शामिल वित्तीय निहितार्थ रु 3,91,236/- (लगभग) है जो छावनी निधि से पूरा किया जाएगा। बोर्ड की स्वीकृति के बाद, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव निदेशालय, दक्षिणी कमान, पुणे को भेजा जाएगा।

#### 2. छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम के आम चुनाव

##### 30 अप्रैल, 2023 को आयोजित किया जाएगा

डीजीडीई के पत्र सं 76/38/Ordinary Election/C/DE/2023 दिनांक 21-02-2023 के अनुसार 30 अप्रैल, 2023 को छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस सह पल्लावरम के आम चुनाव के कार्यक्रम पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए निर्धारित किया गया है।

छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम के आम चुनाव का कार्यक्रम 30 अप्रैल, 2023 को आयोजित किया जाएगा

चुने जानेवाले व्यक्तियों की कुल सं - 07(सात)

- अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित - वार्ड I & वार्ड IV (प्राधिकरण:  
रक्षा मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना सं  
एस आर ओ 5(ई) दिनांक 26 मार्च  
2021)
- महिलाओं के लिए आरक्षित - वार्ड IV & वार्ड VI (प्राधिकरण:  
रक्षा मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना सं  
एस आर ओ 6(ई) दिनांक 26 मार्च  
2021)
- मतदान की तिथि और समय - प्रातः 08.00 से 05.00 बजे तक

क्रम सं	पालन जानेवाले प्रक्रियाओं का विवरण	तारीख
1.	छावनी निर्वाचन नियम 2007 के नियम 20 के तहत चनाव के संबंध में सार्वजनिक सूचना की उद्घोषण की तिथि	01.03.2023 (बुधवार) 12.00 बजे को
2.	नियम 19(1) और 19(2) के तहत छावनी मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए दो प्रतियों में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	04.03.2023 (शनिवार) 12:00 बजे तक छावनी बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट
3.	नोटिस बोर्ड पर शामिल किए जाने के लिए आवेदनों की सूची के प्रकाशन की तिथि और छावनी मतदाता सूची में नामांकन के लिए ऐसे आवेदनों के लिए आपत्तिया आमंत्रित करने की तिथि नियम 19(3)	06.03.2023 (सोमवार) 12:00 बजे छावनी बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में
4.	नियम 19(3) के तहत आपत्तियों प्राप्त करने की अंतिम तिथि	09.03.2023 (गुरुवार) 12:00 बजे तक छावनी बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में
5.	अध्यक्ष छावनी बोर्ड [नियम 19(3)] या उनके नामिती द्वारा आपत्तियों को सुनवाई की तिथि ए) अध्यक्ष छावनी बोर्ड यदि नामांकित व्यक्ति द्वारा सुनवाई की जाती है, (या) बी) यदि राष्ट्रपति द्वारा सुनवाई दी जाती है, छावनी बोर्ड	13.03.2023 (सोमवार) और 14.03.2023 (मंगलवार) 11:00 बजे से 17:00 बजे तक छावनी बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में

क्रम सं	पालन जानेवाले प्रक्रियाओं का विवरण	तारीख
	स्वयं	
6.	अध्यक्ष, छावनी बोर्ड के नामिती के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने की अंतिम तिथि यदि आवेदनों और आपतियों को अध्यक्ष छावनी बोर्ड पठित नियम 19(4) के साथ पठित नियम 16(4) के तहत स्वयं नहीं सुना गया था।	13.03.2023 (सोमवार) और 14.03.2023 (मंगलवार) 11:00 बजे से 17:00 बजे तक छावनी बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में
7.	नियम 16(4) के साथ पठित नियम 19(5) के तहत अध्यक्ष, छावनी बोर्ड द्वारा राष्ट्रपति के नामित के फैसल के खिलाफ अपील की सुनवाई की तिथि और उस पर निर्णय	16.03.2023 (गुरुवार) 17:00 बजे तक छावनी बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट
8.	नियम 19(5) के अनुसार मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि	20.03.2023 (सोमवार) 11:00 बजे से छावनी बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में
9.	छावनी बोर्ड कार्यालय में रिटरनिंग अधिकारी को नामांकित पत्रों की प्रस्तुति की तिथि और समय (नियम 23)	25.03.2023 (शनिवार) 15:00 बजे से
10	रिटरनिंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच के लिए निर्धारित समय और स्थान की सूचना के साथ फार्म VII में वैध नामांकन की सूची के प्रकाशन की तिथि और समय (नियम 25)	27.03.2023 (सोमवार) और 28.03.2023 (मंगलवार) 11:00 बजे से 17:00 बजे कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में
11.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि, समय और स्थान और रिटरनिंग अधिकारी या उनके नामांकित व्यक्ति का निर्णय [नियम 26(1)]	28.03.2023 (मंगलवार) 17:00 बजे के बाद छावनी बोर्ड के कार्यालय में, सेंट थॉमस माउंट
12.	यदि नियम 26(5) परंतुक के तहत रिटरनिंग अधिकारी के नामित द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाती है तो राष्ट्रपति छावनी बोर्ड को अपील की अंतिम तिथि	29.03.2023 (बुधवार) 11:00 बजे से छावनी बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में
13.	राष्ट्रपति छावनी बोर्ड द्वारा अपील पर निर्णय लेने की तिथि जो उन्हें नियम 26(5) परंतुक के तहत भेजे गई थी।	31.03.2023 (शुक्रवार) 11:00 बजे तक
14.	नियम 27(1) के तहत फार्म VII-ए में सुरक्षा जमा की जब्ती के बिना उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि ए) अगर नामांकन की जांच खुद रिटरनिंग अधिकारी द्वारा की गई थी।	05.04.2023 (बुधवार) 11:00 बजे से छावनी बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में

क्रम सं	पालन जानेवाले प्रक्रियाओं का विवरण	तारीख
	(या) बी) यदि रिटर्निंग अधिकारी के नामिति द्वारा नामांकन की जांच की गए थी और अध्यक्ष छावनी लिया गया था।	
15.	नियम 27(3) के तहत जिन व्यक्तियों के नामांकन वापस ले लिए गए हैं, उनके नामों के फार्म VII बी में सूचना के प्रकाशन की तिथि ए) यदि नामांकनों की जांच स्वयं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की गई थी (या) यदि रिटर्निंग अधिकारी के नामिती द्वारा नामांकन की जांच की गई थी और अध्यक्ष छावनी बोर्ड द्वारा अपील पर निर्णय लिया गया था।	30.03.2023 (गुरुवार) 16:00 बजे से पहले छावनी बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में 16:00 बजे से पहले 06.04.2023 (गुरुवार)
16.	विधिवत रूप से निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों की घोषणा के प्रकाशन की तिथि (नियम 28 (बी) और फार्म VII C (नियम 31) में प्रत्येक वार्ड में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन ए) यदि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वयं जांच की जाती है (या) बी) यदि रिटर्निंग अधिकारी के नामिती द्वारा जांच की जाती है और अध्यक्ष छावनी बोर्ड अपील पर निर्णय लिया जाता है	30.03.2023 (गुरुवार) 17:00 बजे से छावनी बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में
17.	नियम 31(4) के अनुसार प्रतीकों के allotment की तिथि और समय (अनुलग्नक - बी के रूप में संलग्न प्रतीकों की सूची) नोट: भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से संबंधित उम्मीदवार द्वारा पसंद किए गए किसी अन्य प्रतीक के लिए, वह CER 2007/आजा भारत के चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित होगा।	06.04.2023 (गुरुवार) 17:00 बजे से छावनी बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट
18.	डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति मांगने वाले आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि- नियम 39(2)	30.03.2023 (गुरुवार) 17:00 बजे छावनी बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट पर कैंटोनमेंट बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट में 06.04.2023 (गुरुवार) 17:00 बजे
19.	प्रपत्र VIII में पंजीकृत डाक द्वारा मतपत्र भेजने की अंतिम तिथि - नियम 39(4)	11.04.2023 (मंगलवार) 11:00 बजे

क्रम सं	पालन जानेवाले प्रक्रियाओं का विवरण	तारीख
		से छावनी बोर्ड कार्यालय, सेंट थॉमस माउंट में
20.	रिटर्निंग अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि [नियम 39(6) (डी)]	20.04.2023 (गुरुवार) 17:00 बजे तक
21 (a)	मतदान की तिथि और समय	30.04.2023 (रविवार) 08:00 बजे से 17:00 बजे तक
(b)	मतदान के स्थान	इसके साथ संलग्न संलग्नक - 'सी'
22.	मतगणना और परिणामों की घोषणा (नियम 48 & 51)	30.04.2023, 22:00 बजे से या 01.05.2023 को 08:00 बजे से, जैसा कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा तय किया गया है।

इस संबंध में, संबंधित फ़ाइल जिसमें आम चुनाव कार्यक्रम / कार्यक्रम, मतदान स्थलों की सूची और प्रतीकों की सूची सहित सार्वजनिक सूचना शामिल है, पटल पर राखी गई है। बोर्ड विचार कर सकता है और अनुमोदन कस सकता है।

**संकल्प सं 2 :** विचार किया और अनुमोदन किया गया।

### 3. GeM पोर्टल के माध्यम से छावनी बोर्ड अस्पतालों सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम के उपयोग के लिए दवाओ और नैदानिक प्रयोगशाला वस्तुओं की खरीद

यह प्रस्तुत किया गया है कि एस छावनी बोर्ड ने GeM पोर्टल के माध्यम से छावनी अस्पतालों, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम के उपयोग के लिए दवाओं की वार्षिक आवश्यकता को रखा है। बोलियों का विवरण इस प्रकार है:

SI. No.	Name of The Contractor	Name of the Item	Total Rate quoted including Tax	Remarks
1.	श्री तुलसिफार्म	चिकिस्ता आइटम	Rs.11,41,987.90/-	L1

2.	श्री आदर्श फर्मासिटिकल्स	चिकिस्ता आइटम	Rs.22,47,890/-	L2
3.	श्री गणेश फार्मसीरगिकल्स	चिकिस्ता आइटम	Rs.25,22,913/-	L3

इस संबंध में कार्यालय की रिपोर्ट एवं संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं। बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

**संकल्प सं 3:** श्री तुलसीफार्मा से दवाएं खरीदने पर विचार और अनुमोदन किया गया।  
तुलसीफार्मा GeM पोर्टल के माध्यम से रु 11,41,987.90/-

#### 4. GeM पोर्टल के माध्यम से छावनी बोर्ड अस्पतालों सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम के उपयोग के लिए नैदानिक प्रयोगशाला वस्तुएं की खरीद

GeM पोर्टल में लैब आइटम की आवश्यकता 20.12.2022 को BoQ बोली सं GEM/2022/B/2884527 दिनांक 20-12-22 के माध्यम से रखी गई है। तकनीकी बोली दिनांक 02.01.2023 को 11.30 बजे खोली गए। BoQ बोली खोलने पर, 4 सं । बोली लगानेवालों ने भाग लिया है। उपरोक्त BoQ बोली की जांच पर, फर्म श्री ग्लोबल डाइग्नोस्टिक्स ने GeM पोर्टल में उल्लिखित आवश्यक विनिर्देशों के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसलिए उपरोक्त फर्म को अपात्र पाया गया और अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए, तीन निविदाकारों अर्थात् 1. श्री तुलसीफार्म 2. आदर्श फर्मासिटिकल्स और श्री गणेश फार्म सर्जिकल्स वित्तीय बोली के लिए योग्य पाए हैं और इस 23-01-2023 को 15.00 बजे खोल गया था। बोली का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं	संविदाओं का नाम	आइटम का नाम	कर उद्धृत कुल राशि	टिप्पणियाँ
1.	श्री तुलसिफार्म	नैदानिक प्रयोगशाला आइटम	Rs.5,21,662/-	<b>L1</b>
2.	श्री आदर्श फर्मासिटिकल्स	नैदानिक प्रयोगशाला आइटम	Rs.7,03,410/-	L2
3.	श्री गणेश फार्मसीरगिकल्स	नैदानिक प्रयोगशाला आइटम	Rs.9,42,332/-	L3

इस संबंध में कार्यालय की रिपोर्ट एवं संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं। बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

**संकल्प सं 4:** श्री तुलसीफार्मा से दवाएं खरीदने पर विचार और अनुमोदन किया गया। तुलसीफार्मा GeM पोर्टल के माध्यम से रु 5,21,662/-

## 5. निजी सेप्टिकटैंक निकासी के काम के लिए सक्शन मशीन का उपयोग

सीवेज उठाने वाला वाहन सं TN 22 DW 8174 10000 लिटर की क्षमता के साथ हाल ही में छावनी बोर्ड के सार्वजनिक शौचालय के सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए खरीदा गया था। भुगतान के आधार पर मशीन का उपयोग निजी सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किया जा सकता है। निजी सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए 2000/- रुपए प्रति लोड चार्ज किया जा सकता है।

इस संबंध में कार्यालय की रिपोर्ट एवं संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं। बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

**संकल्प सं 5:** बोर्ड ने निजी सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए लोड 2000/-रुपए चार्ज करने का संकल्प किया।

## 6. TATA मोटर्स कॉम्पैक्टर वाहन की मरम्मत सं TN 22 DK 5664

TATA मोटर्स कॉम्पैक्टर वाहन क्रमांक TN 22 DK 5664 की मरम्मत हेतु निविदा दिनांक 03.01.2023 पर विचार एवं स्वीकृति हेतु।

TATA मोटर्स कॉम्पैक्टर वाहन TN 22 DK 5664 के लिए RTO, मीनम्बाक्कम द्वारा जारी किया गया फिटनेस सर्टिफिकेट(एफसी) 18-12-2022 को समाप्त हो गया। एफसी प्राप्त करने के लिए मरम्मत कार्य करना आवश्यक है। कॉम्पैक्टर की मरम्मत के लिए निविदा आमंत्रित करने के लिए वेबसाइट में सं STM/SAN/VEH/3607 दिनांक 15-12-2022 के माध्यम से एक निविदा सूचना प्रकाशित की गई थी। तीन निविदाएं प्राप्त हुई जिनका विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं	निविदा का नाम और पता	राशि
1.	श्री राधाकृष्णन ऑटो वर्क्स, नं 5, सुब्रमनीयण स्ट्रीट, थिरुनिरमालई मुख्य सड़क, चेन्नई- 600075	Rs.1,96,500/-
2.	श्री के जे बॉडी वर्क्स, सं 4/88, सीटीएच, सड़क, नेमिलीचेरी,	Rs.2,28,000/-

	थिरुनिरावुर, चेन्नई-24	
3.	श्री महाशक्तिबॉडी वर्क्स सं 281, श्रीनिवास नगर, ट्रंक सड़क, पूनदमल्ली चेन्नई-600056	Rs.2,39,000/-

उपरोक्त में से, श्री राधाकृष्णन ऑटो वर्क्स, सं 5 एआर सुब्रमेनिया स्ट्रीट, पंचायत कालोनी, पम्मल, चेन्नई-600 075 ने सबसे कम रु 1,96,500/- (एक लाख छियानबे हजार पाँच सौ मात्र) की राशि कोट की है।

इस संबंध में कार्यालय की रिपोर्ट एवं संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं। बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

**संकल्प सं 6:** श्री राधाकृष्णन ऑटो वर्क्स, पम्मल TATA मोटर्स कॉम्पैक्टर वाहन सं TN 22 DK 5664 द्वारा न्यूनतम उद्धृत रु 1,96,500/-

## 7. छावनी के लिए बिजली सामग्री की खरीद बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम

सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी बोर्ड के लिए विद्युत सामग्री की खरीद पर विचार करना और अनुमोदन करना।

गवर्नमेंट ई मार्केट (GeM) BoQ बोली सं GEM/2022/B/2884770 दिनांक 21-12-2022, को छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस सह पल्लावरम को विद्युत सामग्री की आपूर्ति के लिए तकनीकी BoQ बोली के लिए बुलाया गया था। BoQ बोली दिनांक 02.01.2023 को 11.30 बजे खोल गया था। BoQ बोली की जांच पर, फर्म, श्री सनहार्ड सिस्टम्स और सोल्युशंस ने GeM पोर्टल में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। अतः उपरोक्त फर्म को अपात्र एवं अस्वीकृत पाया गया। हालांकि, श्री सनहार्ड सिस्टम्स और सोल्युशंस ने 03-01-2023 को 11:26 बजे अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। लेकिन (GeM)पोर्टल में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किया है। इसलिए, अन्य तीन निवेदाकर्ताओं अर्थात श्री श्रीवारीइंपेक्स, श्री गणेश फार्म सुरजिकल्स और श्री आदर्श फर्मासिटिकल्स वित्तीय बोली के लिए पत्र पाए गए हैं और इसे 23-01-2023 को 15.00 बजे खोला गया। बोली लगाने वालों का विवरण इस प्रकार है:-



क्रम सं	संविदाओं का नाम	आइटम का नाम	कर उद्धृत कुल राशि	टिप्पणियाँ
1.	श्रीवारी इंपेक्स	एलेक्ट्रिकल्स मटेरियल्स (सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम)	Rs.4,83,703/-	न्यूनतम
2.	श्री गणेश फार्मा सुरजिकल्स	एलेक्ट्रिकल्स मटेरियल्स (सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम)	Rs.5,61,180/-	-
3.	श्री आदर्श फर्मासिटिकल्स	एलेक्ट्रिकल्स मटेरियल्स (सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम)	Rs.6,57,010/-	-

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं। बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

**संकल्प संख्या 7:** श्री श्रीवारी इंपेक्स द्वारा उद्धृत न्यूनतम रु.4,83,703/- (रुपए चार लाख तिरासी हजार सात सौ तीन मात्र) सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी बोर्ड के लिए GeM पोर्टल के माध्यम से विद्युत सामग्री की खरीद पर प्रभाव पर विचार किया गया और स्वीकृत किया गया।

### 8. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करना

सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा छावनी बोर्ड की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना / स्वीकृत योजना से विचलित हुए बिना किए गए अनाधिकृत निर्माण पर विचार करने के लिए।

अनाधिकृत/विचलित निर्माणों का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:

SI No	Name of the Party with address	Address of the site	Details of Land	Details of Un-authorized construction/deviations	Details of Notices issued
a	Mr.R.Selva Manikam, No.5/10-4, Seven Wells, Poonthottam 1 <sup>st</sup> Street, St.Thomas Mount, Ch - 600 016.	No.5/10-4, Seven Wells, Poonthottam 1 <sup>st</sup> Street, St.Thomas Mount, Chennai - 600 016.	GLRS No.264-part classified as B2 land, situated at outside the notified bazaar area.	Construction of Residential building measuring 419sq.ft in ground floor by deviating from the sanctioned plan.	i) Notice under section 239 (1) of the Cantonments Act, 2006 issued vide CBSTM letter No.STM/Works/8/2470 dated 20.09.2022. ii) Notice under section 247 of the Cantonments Act, 2006 issued vide CBSTM letter No.STM/Works/8/2471 dated 20.09.2022.
b	Mr.C.Rajender Kumar &Mrs.Vimala Bai, No.3/36,	No.3/36, Mount Poonamallee Road,	GLRS No.206 part, classified as B2 land, situated at	Construction of Residential building measuring 1555sq.ft in ground	i) Notice under section 239 (1) of the Cantonments Act, 2006 issued vide CBSTM letter No.STM/Works/8/0230 dated

	Mount Poonamallee Road, St.Thomas Mt.Ch-16	St.Thomas Mount, Chennai - 600 016.	outside the notified bazaar area.	floor, 2046 sq.ft in first floor and 2046 sq.ft in second floor by deviating from the sanctioned plan.	11.01.2023. ii) Notice under section 247 of the Cantonments Act, 2006 issued vide CBSTM letter No.STM/Works/8/0231 dated 11.01.2023.
c	Mr.Uma Shankar, PonniammanKo il Street, C.Pallavaram, Ch - 600 043.	Ponniamman Koil Street, C.Pallavaram, Chennai - 600 043.	GLRS No.388/51, classified as B2 land, situated at outside the notified bazaar area.	Construction of Residential building measuring 600sq.ft in ground floor without obtaining prior sanction from Cantonment Board.	i) Notice under section 239 (1) of the Cantonments Act, 2006 issued vide CBSTM letter No.STM/Works/8/0067 dated 06.01.2023. ii) Notice under section 247 of the Cantonments Act, 2006 issued vide CBSTM letter No.STM/Works/8/0066 dated 06.01.2023.
d	Mrs.Jaya Mary, No.4/92-55, Mangaliamman Koil Street, St.Thomas Mount, Chennai - 600 016.	No.4/92-55, MangaliammanKo il Street, St.Thomas Mount, Chennai - 600 016	GLRS No.256 part, classified as B2 land, situated at outside the notified bazaar area.	Construction of residential building measuring 142sq.ft in ground floor without obtaining prior sanction from Cantonment Board	i) Notice under section 239 of the Cantonments Act, 2006 issued vide CBSTM letter No.STM/Works/8/0669 dated 20.02.2023. ii) Notice under section 247 of the Cantonments Act, 2006 issued vide CBSTM letter No.STM/Works/8/0668 dated 20.02.2023.
e	Mr.Victor John, No.4/92-27-A, MangaliammanKo il Street, St.Thomas Mount, Chennai - 600 016.	No.4/92-27-A, MangaliammanKo il Street, St.Thomas Mount, Chennai - 600 016.	GLRS No.256 part, classified as B2 land, situated at outside the notified bazaar area.	Construction of Residential building measuring 1580sq.ft in ground floor, 1580sq.ft in first floor and 1580 sq.ft in second floor without obtaining prior sanction from Cantt. Board.	i) Notice under section 247 of the Cantonments Act, 2006 issued vide CBSTM letter No.STM/Works/8/0670 dated 20.02.2023.
f.	Mrs.Thenmozhi, No.4/92-6B, Mangaliamman Koil Street, St.Thomas Mount, Chennai - 600 016.	No.4/92-6B, MangaliammanKo il Street, St.Thomas Mount, Chennai - 600 016.	GLRS No.256 part, classified as B4 land, situated at outside the notified bazaar area.	Construction of Residential building measuring 704sq.ft in ground floor without obtaining prior sanction from Cantonment Board.	i) Notice under section 239 (1) of the Cantonments Act, 2006 issued vide CBSTM letter No.STM/Works/8/0672 dated 20.02.2023. ii) Notice under section 247 of the Cantonments Act, 2006 issued vide CBSTM letter No.STM/Works/8/0671 dated 20.02.2023.

इसलिए, बोर्ड इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपरोक्त अनधिकृत/विचलित निर्माणों के लिए छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार और अनुमोदन कर सकता है।

इस संबंध में कार्यालय की रिपोर्ट एवं संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं। बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

**संकल्प संख्या 8:** छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत आवश्यक नोटिस जारी करने के लिए बोर्ड ने विचार किया और अनुमोदित किया और पार्टी द्वारा नोटिस प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के पूरा होने पर, सीईओ नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत है छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 320 के तहत।

## **9.भूमि के संबंध में नामांतरण/पट्टे की अवधि बढ़ाना**

### **GLRS NO.325-A में 0.31 एकड़ (13500 SQ.FT) का नाप**

#### **सेंट थॉमस माउंट कम पल्लवरम छावनी**

श्रीमती बाल्कीस, पत्नी से प्राप्त आवेदन दिनांक 09.11.2022 पर विचार करने के लिए। स्वर्गीय श्री के.शैक अब्दुल खादर, श्रीमती नजीमा, पत्नी। दिवंगत श्री के.एम.अब्दुल खदर, श्री इम्तियास अहमद और श्री एम.मोहम्मद मरजूक, फ्लैट नंबर 2ए, सलमा अपार्टमेंट, नंबर 104/37, वेस्ट माधा कोइल स्ट्रीट, रोयापुरम, चेन्नई - 600 013, छावनी बोर्ड से म्यूटेशन और पट्टे के विस्तार के लिए अनुरोध सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवरम छावनी की 0.31 एकड़ (13500 वर्ग फुट) की माप वाली जीएलआरएस संख्या 325-ए में भूमि का अधिकार श्रीमती बाल्केस, पत्नी के नाम पर है। दिवंगत श्री के.शैक अब्दुल खादर और श्रीमती नजीमा, पत्नी दिवंगत श्री के.एम. अब्दुल खादर को 27.04.2022 से 31.12.2022 तक पूरी तरह से समाप्त हो चुके पट्टे को बदलने और बढ़ाने के लिए।

इस संबंध में उपरोक्त वर्णित पट्टेदारों ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

- i) ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा प्रमाण पत्र संख्या D53243275251410972/2020 दिनांक 13.08.2020 (मृत्यु की तिथि: 29.07.2020) द्वारा जारी स्वर्गीय श्री के.शैक अब्दुल खादर के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
- ii) तहसीलदार, टोंडियारपेट तालुक, चेन्नई द्वारा प्रमाण पत्र संख्या TN-7202008261664 दिनांक 01.09.2020 द्वारा जारी स्वर्गीय श्री के. शेख अब्दुल खादर के कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की प्रति।

- iii) स्वर्गीय श्री के.एम. के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति। अब्दुल खादर तहसीलदार मनामेलकुडी तालुक, पुदुकोट्टई जिले द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 16.09.2020 (मृत्यु की तिथि: 10.09.2020)।
- iv) तहसीलदार द्वारा जारी दिवंगत श्री के.एम.अब्दुल खादर के कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की प्रति, मानामेलकुडी तालुक, पुदुकोट्टई जिला प्रमाणपत्र संख्या टीएन-720201003134 के माध्यम से दिनांक 15.10.2020।

सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवरम छावनी में अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित और छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रखी गई रक्षा भूमि जीएलआरएस संख्या 325-ए, बी 3 के रूप में वर्गीकृत 13500 वर्ग फुट (0.31 एकड़) को मापती है। CLAR, 1925 की अनुसूची VI में लीज 30 साल की अवधि के लिए श्री सैयद जलालुद्दीन साहिब के पक्ष में 90 साल तक नवीकरणीय विकल्प पर बाजार के उद्देश्य के लिए 27.04.1932 से 16.14 रुपये के वार्षिक किराए पर और दिनांक 17.06.1932 को पुस्तक-1 खंड - 336, पृष्ठ 209 से 212 के 1932 के दस्तावेज संख्या 921 के रूप में उप-पंजीयक कार्यालय, सैदापेट में पंजीकृत।

पहली अवधि के लिए पट्टा 26.04.1962 को समाप्त हो गया और 30 वर्ष की दूसरी अवधि के पट्टे के अधिकारों को श्री अजीजुद्दीन और श्रीमती कुड़ुशी बेगम की पत्नी श्रीमती सरन बी के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया। स्वर्गीय श्री उस्मान खान 27.04.1962 से CLAR, 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौते के तहत और उप-पंजीयक के कार्यालय, सैदापेट में पुस्तक-1 खंड 626, पृष्ठ 430 के 1963 के दस्तावेज संख्या 82 के रूप में पंजीकृत हैं। 434 19.01.1963 को 25.31 रुपये के वार्षिक किराए पर।

तत्पश्चात, जमीन के पट्टे के अधिकार श्री जी.एम. करीमुल्ला, पुत्र अजीजुद्दीन और श्रीमती सरनबी के नाम सीबीआर संख्या 16 दिनांक 28.07.1963 को बाजार के उद्देश्य से रुपये के वार्षिक किराए पर स्थानांतरित कर दिए गए।

लीज की दूसरी अवधि 26.04.1992 को समाप्त हो गई और लीज होल्ड अधिकार 27.04.1992 से सीईओ के आदेश क्रमांक 9559/ए/एनसीए/एससी/एलसी-आई/डीई दिनांक 31.03.1999 के तहत 38/- रुपये के वार्षिक किराए पर बाजार के उद्देश्य से i) श्री जी.एम.

करीमुल्लाह, ii) श्रीमती नसरीन, iii) श्रीमती परवीन और iv) श्री रियाज के नाम पर स्थानांतरित कर दिए गए।

श्री जीएम करीमुल्लाह, ii) श्रीमती नसरीन, iii) श्रीमती परवीन और iv) श्री रियाज के नाम पर 30 साल की तीसरी और अंतिम अवधि के लिए लीज़, 27.04.1992 से लागू होने के साथ, अनुसूची IV में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौता CLAR, 1937 का और सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय, सैदापेट में बुक- 1 वॉल्यूम 1992 के 1999 के दस्तावेज़ संख्या 560 के रूप में 12.05.1999 को 38/- रुपये के वार्षिक किराए पर पंजीकृत है। 30 साल की तीसरी और अंतिम अवधि के लिए लीज यानी 90 साल की कुल अवधि (पूर्ण अवधि) 26.04.2022 को समाप्त हो गई।

इसके अलावा, लीज़ होल्ड अधिकारों को i) श्री के.शैक अब्दुल खादर, ii) श्री के.एम.अब्दुल खादर, iii) श्रीमती नजीमा और iv) श्रीमती बाल्किस के नाम पर वार्षिक किराए पर बाजार के उद्देश्य से स्थानांतरित किया गया था। 27.03.2007 को बुक्स वॉल्यूम 2007 पेज 1 से 11 के दस्तावेज़ संख्या 682 ऑफ़ 2007 के तहत सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, सैदापेट में रु.38/- पंजीकृत।

इसके बाद, जीएलआरएस नंबर 325-ए में भूमि के पट्टे के अधिकार को वर्तमान पट्टेदारों के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था। i) श्री के.शैक अब्दुल खादर, ii) श्री के.एम.अब्दुल खादर, iii) श्रीमती नजीमा, डब्ल्यू / ओ। स्वर्गीय श्रीमती के.एम.अब्दुल खादर और iv) श्रीमती बाल्कीस, पत्नी। दिवंगत श्री के.शैक अब्दुल खदेर ने सीबीआर नं.12 दिनांक 16.03.2009 और सीबीआर नं.24 दिनांक 06.09.2013 के माध्यम से बाजार के प्रयोजन के लिए रु.38/- का वार्षिक किराया दिया।

भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार, रक्षा मंत्रालय की नीति पत्र संख्या 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 10.03.2017, भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय की नीति पत्र संख्या 11013/2/2016 /डी(भूमि) दिनांक 31.12.2018, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की

नीति पत्र संख्या 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 15.02.2021 और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की नीति पत्र संख्या 11013/ 2/2016/(भूमि) दिनांक 20.04.2022, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या STM/ADM/LEASE/41/1392 दिनांक 23.05.2022 के माध्यम से पट्टेदारों से जीएलआरएस संख्या 325-ए में पट्टे के विस्तार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने का अनुरोध किया। दिनांक 27.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के लिए 13500 वर्ग फुट (0.31 एकड़) की माप और मौजूदा एसटीआर और सरकार के नियमों और शर्तों के अनुसार लीज किराए का भुगतान करना।

जवाब में, श्रीमती नजीमा और श्रीमती बाल्कीज़ ने पत्र दिनांक 30.05.2022 के माध्यम से 27.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के लिए पट्टे के विस्तार के लिए और प्रचलित एसटीआर और शर्तों के अनुसार भूमि के पट्टे के किराए का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है। सरकार की शर्तों। श्रीमती नजीमा और श्रीमती बाल्किस द्वारा उक्त पत्र में यह भी सूचित किया गया था कि श्री के.शैक अब्दुल खादर और श्री के.एम. अब्दुल खादर की मृत्यु 29.07.2020 और 10.09.2020 को हुई है और उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न की है। स्वर्गीय श्री के.शैक अब्दुल खादर और स्वर्गीय श्री के.एम. अब्दुल खादर जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने श्रीमती नजीमा और श्रीमती बाल्किस को पत्र सं. एसटीएम/वर्क्स/1/2787 दिनांक 20.10.2022 के माध्यम से पत्र जारी किया, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत नोटरीकृत निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र में सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से एनओसी जमा करें। नीचे उल्लिखित मृतक पट्टेदारों के कानूनी उत्तराधिकारी।

- i) स्वर्गीय श्री शेख अब्दुल खादर के पुत्र :
  - क) श्री एस इमिथियास अहमद (पुत्र)
  - ख) श्री एस मोहम्मद अमीन (पुत्र)
  - ग) श्री एस यासर अराफात (पुत्र)
  - घ) श्री एस सफीउल्लाह (पुत्र)
  - ड) श्री एस. कुथबुद्दीन (पुत्र)

II स्वर्गीय श्री मोहम्मद अब्दुल खादर के पुत्र और पुत्रियां:

- क) श्री मोहम्मद मरजूक (पुत्र)
- ख) श्रीमती मुनीरा बेगम (पुत्री)
- ग) श्रीमती नज़ीरा (बेटी)
- घ) श्रीमती फातिमा ज़ोहरा (बेटी)

जवाब में, श्रीमती नजीमा, श्रीमती बाल्कीस, श्री एस. इम्तियास अहमद और श्री एम. मोहम्मद मरजूक ने अपने पत्र दिनांक 09.11.2022 के माध्यम से मृतक पट्टेदारों के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दी गई अपेक्षित एनओसी जमा कर दी है।

तत्पश्चात, छावनी बोर्ड ने श्रीमती नजीमा, श्रीमती बाल्कीस, श्री एस. इम्तियास अहमद और श्री एम.मोहम्मद मरजूक को पत्र सं. एसटीएम/एडीएम/वर्क्स/1/3136 दिनांक 16.11.2022 द्वारा रुपये की राशि भेजने के लिए मांग नोटिस जारी किया। 15,43,147/- जीएलआरएस संख्या 325-ए में 13500 वर्ग फुट (0.31 एकड़) भूमि के संबंध में दिनांक 27.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के लिए वाणिज्यिक दर पर लीज रेंट की बकाया राशि और पट्टेदारों के लिए ई-छावनी रसीद संख्या 4120 दिनांक 30.12.2022, रसीद संख्या 4198 दिनांक 05.01.2023 और रसीद संख्या 4751 दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से लीज रेंट की कुल बकाया राशि रु.15,43,147/- का भुगतान किया है।

चूंकि, छावनी बोर्ड की मांग के अनुसार, श्रीमती नजीमा, श्रीमती बाल्कीस, श्री एस. इम्तियास अहमद और श्री एम. मोहम्मद मरजूक ने भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार प्रचलित एसटीआर की दर पर लीज किराए का बकाया भुगतान किया है। रक्षा मंत्रालय, म्यूटेशन और जीएलआरएस नंबर 325-ए में पट्टे का विस्तार, 13500 वर्ग फुट (0.31 एकड़) को मापने के लिए श्रीमती नजीमा, श्रीमती बाल्कीस, श्री एस इम्तियास अहमद और श्री के नाम पर अनुमोदित किया जाना है। एम.मोहम्मद मरजूक 27.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के लिए बाजार उद्देश्य के लिए और उचित रूप से संशोधित पट्टा समझौते को निष्पादित/पंजीकृत किया जाना है।

इस संबंध में कार्यालय की रिपोर्ट एवं संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं। बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

**संकल्प संख्या 9:** भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अंतरिम नीति के अनुसार दिनांक 27.04.2019 से श्रीमती नजीमा, श्रीमती बाल्कीस, श्री एस. इम्तियास अहमद और श्री एम. मोहम्मद मरजूक के पक्ष में विषय पट्टे को बदलने और विस्तारित करने के लिए विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। 2022 से 31.12.2022 तक और उपयुक्त रूप से संशोधित समझौते को पंजीकृत करने के लिए। तत्पश्चात, विषयगत पट्टा भूमि के लिए अद्यतन जीएलआर सार उच्चाधिकारियों को अग्रेषित किया जाएगा।

## 10. DR एस सुमिता पार्थिवन, अनुबंध के आधार पर सोनोलॉजिस्ट की सेवा का विस्तार करना।

ग्यारह महीने (या) जब तक जीईएम पर सेवा उपलब्ध नहीं हो जाती, जो भी पहले हो, अनुबंध के आधार पर डॉ. एस सुमिता पार्थिवन, सोनोलॉजिस्ट की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना।

डॉ. एस. सुमिता पार्थिवन को रुपये के मानदेय पर अनुबंध के आधार पर सोनोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। 400/- सामान्य स्कैन के लिए (प्रति रोगी) और रु. 500/- विशेष स्कैन (प्रति रोगी) के लिए और वह पीसीबी अनुमोदन दिनांक 01.04.2011 के तहत 16.11.2011 को इयूटी पर शामिल हुई थी। इसके अलावा, वह नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लगी हुई थी:

क्रम सं	अधिकारी	मानदेय	टिप्पणियाँ
1.	PCB Sanctiondt. 15.06.2021 & CBR No. 6 dt. 26.07.2012	परामर्श और उपकरण उपयोग शुल्क के लिए उसे प्रति रोगी के मानदेय के रूप में 300/- रुपये देय है क्योंकि स्वयं के उपकरण सोनोलॉजिस्ट द्वारा लाए जाएंगे।	एक वर्ष लगा था
2.	CBR No. 07 dt.17.06.2013	परामर्श और उपकरण उपयोग शुल्क के रूप में उसे प्रति रोगी 300/- रुपये देय है क्योंकि स्वयं के उपकरण सोनोलॉजिस्ट द्वारा लाए जाएंगे।	एक वर्ष लगा था
3.	Circular Agendadt. 13.08.2015	रु. 300/- रुपये प्रति रोगी को परामर्श	एक वर्ष लगा था



क्रम सं	अधिकारी	मानदेय	टिप्पणियाँ
		और उपकरण उपयोग शुल्क के लिए मानदेय के रूप में देय है क्योंकि स्वयं के उपकरण सोनोलॉजिस्ट द्वारा लाए जाएंगे।	
4.	CBR No. 03 dt. 08.03.2016	मानदेय रुपये से बढ़ाकर रु. 300/- से रु. 350/-	ग्यारह वर्ष लगा था
5.	CBR No. 09 dt. 24.03.2017	मानदेय रुपये से रु 300/- से रु.350/-	ग्यारह वर्ष लगा था
6.	CBR No. 09 dt. 31.05.2017	बढ़ा मासिक मानदेय 25000/- साथ में रु. सीबी अस्पताल, पल्लवरम में विशेष स्कैन (प्रति रोगी) के लिए 350/- रुपये	ग्यारह वर्ष लगा था
7.	CBR No. 04 dt. 01.02.2018	रुपये मासिक मानदेय 25000/- साथ में रु. 350/- सीबी अस्पताल, सेंट थॉमस माउंट में विशेष स्कैन (प्रति रोगी) के लिए और रु. सीबी अस्पताल, पल्लवरम में विशेष स्कैन (प्रति मरीज) के लिए 300 / -	ग्यारह वर्ष लगा था
8.	CBR No. 28 dt. 21.03.2018	बढ़ा हुआ मानदेय रु. 300/- प्रति रूटीन स्कैन और रु. 400/- प्रति विशेष स्कैन और कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।	
9.	CBR No. 03 dt. 18.12.2018	300/- प्रति रूटीन स्कैन और रु. 400/- प्रति विशेष स्कैन और कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा	ग्यारह वर्ष लगा था
10.	CBR No. 03 dt. 19.11.2019	मानदेय में दो हजार रुपये की वृद्धि 300/- से रु. 400/- प्रति रूटीन स्कैन और रु. 400/- से रु. 500/- प्रति विशेष स्कैन और कोई अतिरिक्त	ग्यारह वर्ष लगा था

क्रम सं	अधिकारी	मानदेय	टिप्पणियाँ
		भुगतान नहीं दिया जाएगा।	
11.	CBR No. 12 dt. 30.03.2022	मानदेय में दो हजार रुपये की वृद्धि 300/- से रु. 400/- प्रति रूटीन स्कैन और रु. 400/- से रु. 500/- प्रति विशेष स्कैन और कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।	ग्यारह वर्ष लगा था

अनुबंध की अवधि 28.02.2023 को समाप्त हो रही है। वह व्यक्ति बोर्ड से उसकी सेवाएं लेने का अनुरोध कर रहा है। यह देखा जीईएम पोर्टल में सोनॉलॉजिस्ट का पद उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि वह 03.03.2023 से (या) जीईएम पर उक्त सेवा उपलब्ध कराने तक, जो भी पहले हो, 11 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

इस संबंध में संबंधित फ़ाइलों पटल पर रखी गई थी। बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

**संकल्प सं 10:** बोर्ड ने श्रीमती सुमिता पारथिवन, सोनॉलॉजिस्ट को मौजूद मानदेय और नियम और शर्तों पर ग्यारह महीने की अवधि के लिए 03.03.2022 से (या) जब तक उक्त सेवा जीईएम पर उपलब्ध नहीं हो जाती, जो भी पहले हो।

(ब्रिगेडियर सिवा टी वीएसएम)  
छावनी बोर्ड के अध्यक्ष  
सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम

(सी दिनेश कुमार रेड्डी )  
सदस्य सचिव और  
मुख्य अधिशासी अधिकारी  
छावनी बोर्ड

दिनांक : 28-02-2023